



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर  
प्रकरण क्रमांक : / 2016 निगरानी नं. २२३- II-१६

श्री रामपाल सिंह गवालियर

द्वारा आज दि. ५-७-१६ को

प्रस्तुत

*Ram Pal Singh*  
गवालियर म.प्र. ग्वालियर

रामप्रसाद पुत्र स्व. श्री रामपाले नाई  
निवासी ग्राम बासौडा तहसील माडा  
जिला सिंगरौली म.प्र.

.....आवेदक

बनाम

1. रामकरन पुत्र मायाराम वैश्य निवासी  
ग्राम बडगढ़ तहसील माडा जिला  
सिंगरौली म.प्र.
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता  
राजस्व निरीक्षक सचिव मण्डल माडा तहसील माडा  
जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/ अ- 12/  
14-15 / रामकरन वि. म.प्र. शासन में पारित आदेश  
दिनांक 25.7.2015 से परिवेदित होकर आदेश की  
जानकारी दिनांक 18.6.2016 से समयावधि में प्रस्तुत।

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत

है :-

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम बासौडा स्थित भूमि सर्वे  
क्रमांक 597/ 2 रकवा 0.50 हेक्टर का सीमाकंन कराने हेतु  
आवेदन प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.06.2015  
को सीमाकंन किए जाने हेतु सूचना दी गई। सूचना परजारी  
दिनांक नहीं डाला गया। दिनांक 19.06.2015 को आवेदक द्वारा  
सीमाकंन न किए जाने बात लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की तथा  
सीमाकंन न किए जाने का निवेदन किया बताया गया कि अनावेदक

59

अनवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-2233-दी । १६

जिला - मिंगराजी

## पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारा एवं जानकारी आदि के हस्ताक्षर
१३८/१९	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....प्राप्ति भिरीहालु.....  <u>M.J.</u> के प्रकरण क्रमांक .....१।अ।१२।।५।१५..... में पारित          आदेश दिनांक २५।०८।१५..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-          राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के          फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित          संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु  <u>कृत्रिम संज्ञाली</u> को भेजा जाता है। उभयपक्ष          प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक १४।१०।१९..... को  <u>कृत्रिम संज्ञाली</u> के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p> 	